HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : BENCH AT INDORE

First Appeal No.728 of 2016

Indore, Dated:- 31/01/2018

Shri Gaurav Laad, learned Counsel for the appellant—Smt. Vinita Chouhan.

Shri D. K. Sharma, learned Counsel for the respondent—Hitendra Singh Chouhan.

Appellant—Smt. Vinita Chouhan and respondent—Hitendra Singh Chouhan, who are wife and husband are present in person and they have been identified by their respective Counsel.

Appellant and respondent have made a statement that during pendency of this appeal, a settlement has been arrived between the parties and as per settlement, they will withdraw all the cases except the case of Guardians and Wards Act, 1890 which is pending before the Family Court, Ujjain. Terms of the compromise of I.A. No.917/2018 reads as under:-

> “1. यह कि, अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील अधिनस्थ कुटुम्ब न्यायालय उज्जैन श्री विनोक कुंमार दुबे द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 180–ए/2016 में पारित निर्णय दिनांक 16/06/2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की थी। वर्तमान में उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। एवं उक्त अपील के विचारण के दौरान उभय पक्ष के मध्य निम्नानुसार समझौता हो गया है जो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।
>
> 2. यह कि, समझौते के अनुसार उभयपक्षों के मध्य में यह समझौता हुआ है कि प्रार्थीया उक्त समझौते के प्रकाश में यह अपील नहीं चलाना चाहती है एवं यह कि, भविष्य में प्रार्थीया के चरित्र को लेकर प्रत्यर्थी द्वारा कोई टिका टिप्पणी नहीं की जावेगी। इस समझोते के प्रकाश में उभयपक्ष दोनो अपील स्वेच्छा अनुसार अन्यत्र दुसरा विवाह कर सकेगे।
>
> 3. यह कि, इस प्रकरण के अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा धारा 125 द.प्र.स. के प्रकरण भी जो माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष क्रिमिनल रिविजन 1163/16 विचाराधीन है उसे भी इस समझौते के प्रकाश में निरस्त करवा लिया जावेगा।
>
> 4. यह कि, अपीलार्थी द्वारा प्रतिप्रार्थी से अपना सामान, प्राप्त कर लिया है एवं उसकी प्राप्ति रसीद भी दे दी है एवं भविष्य में अपीलार्थी स्त्रीधन या अन्य कोई सामान प्राप्ति बाबद कोई मांग नही करेगी तथा उभयपक्षों के मध्य में स्त्रीधन संपत्ति एक मुश्त जीवन निर्वाह भत्ता के स्वरूप कुल रू. 3,00,000/– अक्षरी तीन लाख रूपये अपीलार्थी द्वारा प्रतिप्रार्थी के

आई.डी.एफ.सी. उज्जैन शाखा सुभाष नगर कालोनी, चेक क्रमांक 000002 प्राप्त कर लिया है एवं अगर यह चेक बाउंस होता है तो अपीलार्थी को यह अधिकार है कि वह धारा 138 निगोशिएल इन्स्ट्रुमेंट एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर राशि का भुगतान प्राप्त कर सकेगी अगर उक्त राशि का भुगतान नहीं होता है तो उक्त समझोता स्वतः निरस्त समझा जावेगा।

5. यह कि उभयपक्षों के मध्य एक मात्र संतान वर्णित सिंह चौहान है जो प्रतिप्रार्थी के साथ निवास करता है जिसे अभिरक्षा में प्राप्त किये जाने बाबद अपीलार्थी द्वारा लिया कुटुम्ब न्यायालय उज्जैन के समक्ष गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किया है जो विचाराधीन है उक्त समझोता गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट प्रकरण में बंधनकारी नहीं रहेगा एवं ना ही उससे उत्पन्न अन्य प्रकरणों पर बंधनकारी रहेगा।

6. यह कि, अपीलार्थी द्वारा गार्जियन एण्ड वार्डस एक्ट के अतिरिक्त जो प्रकरण प्रतिप्रार्थी एवं अपीलार्थी द्वारा विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है वह सभी प्रकरण आपसी समझोते के आधार पर समाप्त करा लिया जावेगे एवं प्रतिप्रार्थी द्वारा अपीलार्थी के परिवार के विरूद्ध एक प्रकरण प्रथम सूचना क्रमांक 194/2015 धारा 341, 323, 596/34 थाना नरवर लिया उज्जैन से उत्पन्न है उसमें भी समझोता कर समाप्त करा लिया जावेगा।

7. यह कि, उक्त समझौता दोनो पक्षों द्वारा अपने परिवारजनों की समझाईश पर किया गया है एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी की इस पर पूर्ण सहमति है इस संबंध में दोनो पक्षो द्वारा समझोता पत्र के साथ अपने अपने शपथ पत्र संलग्न किये गये है।

8. यह कि उपर वर्णित परिस्थितियों में न्यायहित में उक्त समझौते स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के मध्य हुआ उक्त समझौते को स्वीकार किये जाने बाबद आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है।

अतः उभयपक्षो द्वारा यह समझौता बिना किसी दबाव में किया है।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि समझौता स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के मध्य जिन आधारों पर समझौता किया गया है उसे स्वीकार कर योग्य आदेश प्रदान करने की कृपा करें।"

The terms of the compromise is lawful.

On due consideration, I.A. No.917 of 2018 is allowed. Impugned judgment passed by learned Family Court is modified in terms of the compromise. Decree be drawn up, accordingly. No costs.

Consequently, F.A. No.728 of 2016 is disposed of.

(P. K. Jaiswal)
Judge

(Virender Singh)
Judge

pp/

Pankaj
Pandey

Digitally signed by Pankaj Pandey
DN: c=IN, o=High Court of Madhya Pradesh, ou=Administration, postalCode=452001, st=Madhya Pradesh, 2.5.4.20=5467164f5a336c7377a6484512779597a0f79163d36b5126b339e1055a2ce3fb, cn=Pankaj Pandey
Date: 2018.02.01 10:16:03 +05'30'